an>

title: Regarding timely completion of developmental works undertaken under MPLAD Scheme.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सांसदों को विकास के लिए सांसद निधि आबंटित की जाती है, उसे खर्च करने की समय सीमा होती है कि इतने दिनों में कार्य का निस्तारण करा दिया जाए। किंतु होता यह है कि हमारे प्रस्ताव देने के बाद भी संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उपेक्षात्मक रवैया अपनाने के कारण कभी समाचार पत्रों में छपता है कि सांसद निधि को खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह होती है कि हम प्रस्ताव समय से दे देते हैं लेकिन संबंधित अधिकारी के कमीशन का रेट तय करने में समय गंवा देते हैं और समय सीमा बढ़ जाती है। इससे विकास प्रभावित होता है। सांसदों को प्रति वÂर्ष पांच करोड़ रुपए मिलते हैं। मैं विशेÂषकर अपने जनपद की बात बताना चाहता हूं, इसमें न्यूनतम 20-25 प्रतिशत केवल यह तय करने में जाता है कि किस विभाग द्वारा काम कराया जाएगा। चाहे इसे कमीशन कह लीजिए या प्रशासनिक व्यय कह लीजिए, इसमें खर्च होता है। विकास निधि पर वार्षÂिाक रूप में 3.5 से चार करोड़ रुपए ही खर्च हो पाता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर कठोर पारदर्शी नियम बनाते हुए समय सीमा सुनिश्चित करके, मानिटरिंग कराकर जवाबदेही सुनिश्चित करें।

माननीय अध्यक्ष:

श्री जगदम्बिका पाल,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

कुँवर पुष्पÂेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्रीमती अंजु बाला,

श्रीमती रेखा वर्मा,

श्रीमती वीणा देवी,

श्री सी.पी. जोशी और श्री उदित राज को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।